259
10.50

संख्या– — /XXXVI(1)/2017-582/2001

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाप्रशासक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 22 फरवरी, 2017

विषय– महाप्रशासक कार्यालय हेतु सृजित 08 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–85/XXXVI(1)/2015-582/2014 दिनांक 11.02.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–15 एक(1)/न्याय विभाग/03 दिनांक 14.02.2003 द्वारा महाप्रशासक कार्यालय हेतु सृजित 08 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक बढाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–07–महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–1270/76–दस दिनांक 20.07.1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07.11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

4– उक्त के साथ वित्त (वे0आ0–स0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश सं0–118(1)/XXVII(7)/2006 दिनांक 31.08.2006 की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त पदों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित 09 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या सहित पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

संख्या– 64 /XXXVI(1)/2017-582/2001 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।